[illegible] जनाब बोर्ड [illegible] होने से
[illegible] दि. 16/3/15 को पेश हो।

16/3/15 फारेका [illegible] अधिवक्ताओं कि हड़ताल/
~~शोक सभा~~ होने [illegible] पूर्व आदेशानुसार वास्ते
सुनवाई दिनांक 13-4-15 को पेश हो।

13/4/15 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री शिवशंकर जोशी ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर तामिल होना नहीं पाया जाता है। तलबी हेतु पुनः सम्मन पेश किये जाते। पत्रावली वास्ते तलबी एवं जवाब हेतु दिनांक 11-5-15 को पेश हो।

U.T. (3)

[illegible]/7/15 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत/ कैम्प हेतु ग्राम [illegible] पर पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से प्रकरण कैम्प [illegible] लिया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादिया का कथन है कि वादग्रस्त भूमि मौके की सम्पत्ति [illegible] पूर्व में देवाराम पिता सवाराम के नाम पर दर्ज थी।

देवराम के तीन पुत्र एवं दो पुत्रियां
हुई, जिसमें एक पुत्र खुमानीलाल
फौत हो चुका है वादग्रस्त आराजियात
मौरूसी खातेदारी होने से वादीया का
1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1
से 3 प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा
मिलता है प्रतिवादी संख्या 1 व 2
ने राजस्व कर्मियों से मिली भगत
कर देवराम के फौत होने के बाद
वादग्रस्त आराजियात अपने नाम दर्ज
करवा ली एवं वादीया एवं प्रतिवादी
संख्या 3 का नाम दर्ज होने से रह गया
जबकि वादग्रस्त आराजियात में वादीया
एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त कब्जा
चला आ रहा है अतः वादग्रस्त आरा-
जियात का वादीया एवं प्रतिवादीगण
प्रत्येक को 1/4-1/4 हिस्से का खातेदार
काश्तकार घोषित फरमाये जाने का आदेश
प्रदान करावें। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया
के कथनों के खण्डन में कोई साक्ष्य या
सबूत पेश नहीं किया है जबकि बावजूद
तामील अनुपस्थित रहे हैं। निरीक्षण स्थल
पर मजमे आम द्वारा वादीया द्वारा प्रस्तुत
सजरा खानदान को सही होना स्वीकार
है अतः वादीया का वाद साबित पाये
जाने से स्वीकार किया जाता है एवं
मौजा हियाता पटवार हल्का हियाता,
तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत
2069 से 72 के खाता संख्या 196 में
वर्णित आराजियात किता 41 कुल रकबा
1.9250 है० भूमि का वादीया एवं प्रतिवादी
संख्या 1 से 3 वालीबाई, भूरीलाल, लालुराम,
चम्पाबाई पिता देवीलाल प्रत्येक को
1/4-1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार
घोषित किया जाता है पत्रावली नियमित
होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड
गोगुन्दा जिला उदयपुर